राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 151/2019

1. जगदीश सिंह पुत्र भीख सिंह
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह
4. मंजू कंवर पुत्री जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी त्यौंदा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. अजय सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
2. दीपक सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
3. लक्ष्मी देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह
4. शांति पत्नी रोहतान सिंह उर्फ रोहतास सिंह
5. सुभाष सिंह पुत्र रोहतान सिंह उर्फ रोहतास सिंह जाति राजपूत निवासी त्यौंदा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक खातेदारी

निर्णय दिनांक :– 15–09–2020

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम त्यौंदा स्थित जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 390 के खसरा नंबर 807 रकबा 0.14 है., ख.नं. 844 रकबा 0.31 है., ख.नं. 845 रकबा 0.13 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है. के संयुक्त खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 है। वादी सं. 1 की पत्नी व वादी सं. 2 लगायत 4 की माता अन्तर कंवर ने दिनांक 27.01.2009 को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के पिता राजेन्द्र सिंह व प्रतिवादी सं. 4 व 5 से इनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 807 रकबा 0.14 है. भूमि जरिये विक्रय पत्र खरीद की और विक्रेतागण ने वादी सं. 1 की पत्नी व वादी सं. 2 लगायत 4 की माता अंतर कंवर को विक्रय के दिन ही अपनी उक्त भूमि पर कब्जा करवा दिया तब से अन्तर कंवर उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चली आ रही तथा उसकी मृत्यु दिनांक 17.04.2014 के बाद वादीगण जो उसके वारिश/उत्तराधिकारी हैं काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी सं. 1 की पत्नी व वादी सं. 2 लगायत 4 की माता अंतर कंवर ने उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2009 को क्रय करने के बाद विक्रय पत्र को घर ले जाकर रख दिया व अपने नाम नामांतकरण करवाने की कार्यवाही से अनभिज्ञा होने के कारण अपने नाम से नामांतकरण नहीं करवा सकी। वादीगण की पत्नी/माता अंतर कंवर के द्वारा क्रय की गई भूमि अंतर कंवर के नाम से दर्ज नहीं होने से वादीगण की भारी हकतलफी है इसलिये वादीगण अब उक्त भूमि के अपने को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम त्यौंदा स्थित जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 390 में दर्ज खसरा नंबर 807 रकबा 0.14 है. सम्पूर्ण का वादीगण को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तद्नुसार रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:13:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

वादी के नाम से अमल किया जावे तथा उक्त खसरा नंबर से प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 का नाम हजफ फरमाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 390 (प्रदर्श–1), नकल नक्शा (प्रदर्श–4), फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2009 (प्रदर्श–2ए), मृत्यु प्रमाण पत्र अंतर कंवर पत्नी जगदीश सिंह (प्रदर्श–3ए) पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र जगदीश सिंह (पी.डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र (प्रदर्श–2ए) के मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम त्यौंदा तहसील खतड़ी स्थित आराजी खाता सं. 390 जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के 807, 844, 845 कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 है. में भूमि खसरा नंबर 807 रकबा 0.14 है. सम्पूर्ण के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 807 की खातेदारी से प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 का नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–09–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/9/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:13:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner